प्रेस विज्ञप्ति

15.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने अतीक अहमद और अन्य के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, यूपी के समक्ष श्रीमती शाइस्ता परवीन, पत्नी स्वर्गीय अतीक अहमद के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत करोड़ों रुपये के जबरन वसूली रैकेट से संबंधित एक मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय विशेष न्यायालय ने 14.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अतीक अहमद और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित फौजदारी अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। तदोपरांत, हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन हड़पने और इसी तरह के अपराधों से संबंधित फौजदारी अपराधों के लिए विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर को शामिल करने के लिए धन शोधन जांच के दायरे का विस्तार किया गया।

जांच के दौरान, अतीक अहमद और उसके सहयोगियों/परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों द्वारा अर्जित अपराध की आगे की आय का पता लगाने के क्रम में, यह पता चला कि अतीक अहमद और उसके सहयोगी अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपने अवैध धन को अचल संपत्ति खरीदने में निवेश कर रहे थे। यह भी पाया गया कि सरकारी एजेंसियों/कर अधिकारियों की नजर से बचने के लिए ये अचल संपत्तियां विभिन्न अन्य व्यक्तियों/बेनामी धारकों के नाम पर पंजीकृत कराई गईं है।

इससे पहले, ईडी ने 13.12.2021 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के तहत स्वर्गीय अतीक अहमद और सुश्री शाइस्ता परवीन की 8.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। कुर्क की गई संपत्तियों में शाइस्ता परवीन के नाम पर पंजीकृत इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में स्थित जमीन और अतीक अहमद के 10 बैंक खातों और शाइस्ता परवीन के एक बैंक खाते में जमा 1.28 करोड़ रुपये की संयुक्त राशि शामिल है।

आगे, अप्रैल और जून 2023 में ईडी द्वारा अतीक अहमद के सहयोगियों से जुड़े कुल 27 परिसरों की तलाशी ली गई थी। इन अभियानों में 1.15 करोड़ रुपये की नकदी, 6 करोड़ रुपये मूल्य का सोना/आभूषण और कई अन्य अपराध-संकेती रिकॉर्ड जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।